समाचार-प्रकाशनार्थ:-

मा0 मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान के संवाद को देखा व सुना
पीएम स्वनिधी के 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान कये

रतलाम 29 अगस्त। प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के हितग्राहियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री शवराज संह जी चौहान द्वारा बालाघाट से अपरान्ह 1ः00 बजे से कये गये संवाद व उद्बोधन के सीधे प्रसारण को जनप्रतिनि धए अ धकारीए कर्मचारी व हितग्राहियों ने वधायक सभाग्रह में एल.ई.डी. वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना। इस अवसर पर 8 हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान कये गये।

इस अवसर पर वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा क पीएम स्व नि ध तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना अ भनव योजनाएंे है योजनाऐ फेरी लगाकर स्वरोजगार धंधा करने वाले व्यक्तियों के लए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई है योजना में शासन द्वारा 10 हजार रुपए का ऋण बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है पूरा ऋण चुकाने के बाद हितग्राही को बगैर ब्याज के दुगनी रा श अर्थात 20 हजार रुपए का ऋण लाभ प्रदान कया जाता है। उन्होने हितग्राहियों से आग्रह कया क योजना में प्राप्त ऋण को अपने जीवन की उन्नति का आधार बनाए ऋण वापस करने की प्रवृत्ति रखें इससे आप अपने जीवन में आ र्थक रूप से सदैव सफल रहेंगे।

सांसद माननीय श्री गुमान संह जी डामोर ने इस अवसर पर कहा क शासन द्वारा संचा लत पीएम स्वनि ध तथा मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के माध्यम से फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों का आ र्थक उत्थान कया जा रहा हैए इनके व्यवसाय उन्नत हो जीवन स्तर ऊंचा उठे इस लए योजनाएं संचा लत की जा रही है कोरोना काल में योजनाओं ने बहुत बड़ा सहारा स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राहियों को प्रदान कया है

आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगमए रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तमए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए

उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए परियोजना अ धकारी शहरी वकास अ भकरण श्री अरुण कुमार पाठकए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदारए ब्रजेश कुशवाहए दीक्षा निजामपुरकरए अनिता ठाकुरए सटी मैनेजर श्री भगवान संह राजपूतए श्री कपील मारोठिया के अलावा सर्वश्री राजेन्द्र संह लूनेराए प्रदीप उपाध्यायए अरूण रावए श्रीमती अनिता कटारियाए मयूर पुरोहितए सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती सीमा सुरो लयाए श्रीमती रेखा राठौरए हेमा सलावटए डॉ0 निर्मला राय सहित निगम प्रशासन के अ धकारी एवं कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित थे।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

29 अगस्त को 53 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 29 अगस्त र ववार को 53 टन कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

29 अगस्त र ववार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 26840ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 15160ए काम्पेक्टर गीला 10820ए मैजिक 1060 कलो इस तरह कुल 53880 कलो कचरा जुलवानिया टेª चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

5 सामुदायिक संगठिकाओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 29 । नगर निगम एनयूएलएम वभाग की सामुदायिक संगठिकाओं 29 अगस्त को प्रातः 09ः00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना दिये जाने के बाद भी प्रातः 09ः30 तक कार्यालय में उपस्थित

नहीं होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिकाओं का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त कये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्तेए श्रीमती सीमा सुरो लयाए श्रीमती रेखा राठौरए हेमा सलावट व डॉ0 निर्मला राय का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा अनुबंध समाप्त कये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा

वार्ड दरोगा षरद खरे निलंबित

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा रात्री कालीन निरीक्षण के दौरान सैलाना रोड ब्रीज व का लका माता झाली तालाब क्षेत्र की लाईटें बंद पाई जाने पर प्रकाश प्रभारी श्री एम.के. जैन का एक दिवस का वेतन काटा इसके अलावा पांजरा पोल केम्पस में कचरे के ढेर पाये जाने पर वार्ड दरोगा शरद खरे को निलंबित कया गया।

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा रात्री कालीन निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न क्षेत्रों में कई दुकानांेए ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर संबं धतों पर स्पॉट फाईन नहीं कये जाने पर स्पॉट फाईन दल के कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न क्षेत्रों में दुकानांेए ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर दौरान नगर के व भन्न क्षेत्रों में दुकानांेए ठेलो व गुमटियों के सामने कचरा पाये जाने व गंदगी सड़क पर पाई जाने पर

स्पॉट फाईन दल के कर्मचारी पवन झांझोटए आकाश शन्देए मनोज झांझोट व राकेश ललावत का एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कया गया।

भैंसो के तबेलो को तोड़ा जायेगा

रतलाम 29 अगस्त । रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसो के तबेलो का सर्वे पूर्ण कया जाकर तबेले संचालकों को तबेले हटाने हेतु चेतावनी दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क नगर में स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचा लत सभी तबेलो का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसो का पालन करना निगम एक्ट के वपरित हैए ऐसे भैंस पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले का निर्माण कर भैंसो का पालन कर रहे है वे स्वंय अपने तबेलो को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 13 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 29 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबं धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 29 अगस्त को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अ धकारी व झोन प्रभारी द्वारा खुले में गंदगी करने पर गोपालए जयेशए सुनील स्टेशन रोड पर 250.250ए जीतूबाई धानमण्डीए अर वन्दए मनोज सैलाना बस स्टैण्डए कमलए प्रदीप दो बत्तीए बद्रीराम फव्वारा चौकए आनन्दश्री पेलेस रोडए प्रमोदए परमार जी पर 100.100 व लोकेश सैलाना ब्रीज पर 50 रूपये

का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़ेए करण चौहानए वनय चौहानए वराट मेहरा व स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशु वध करनाए मटन वक्रय प्रतिबं धत

रतलाम 29 अगस्त । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आज 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस वक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौशत वक्रय करना अथवा बेचना निषेध कया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबं धत स्वच्छता निरीक्षकों को निर्दे शत कया है क उक्त दिवस को पशु वध करते या मटन गौश्त वक्रय करते पाया जाये तो संबं धत के वरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

नगर निगम द्वारा अब तक 7352 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 29 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ‘‘निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उ चत मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं। 28 अगस्त शनिवार को श्री मॉ प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार अमृत सागर कालोनीए जूनियर प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार आनन्द कालोनीए मरियम प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार जावरा रोडए अलकापुरी प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार स्नेह नगर 80 फीट रोडए प्रतीक प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए बालाजी प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार शहर सरायए गीता महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार मेहताजी का वास व डम्पल महिला प्राथ मक उपभोक्ता भण्डार नयागांव में 36 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7316 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

पथ वक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 29 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सद्धी वशेष अभयान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वतीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000ध् ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत कये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ वक्रेताओं से अपील की जाती है क जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000ध् का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वतीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000ध् का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

निगम से संबं धत करो की बकाया रा श जमा कर अ धभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 29 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (को वड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गरावटए स र्वस सेक्टर आदि में ष थलता परिल क्षत होने के फलस्वरूप निगम से संबं धत करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया रा ष एक मुष्त जमा कराने पर अ धभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;रूपये पचास हजार) से अ धक तथा रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 1ए00ए000ध् ;रूपये एक लाख) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध् ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 10ए000ध् ;दस हजार) से अ धक तथा रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अ धभार की रा ष रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध् ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 100 प्रतिषत की छूटए अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 20ए000ध् ;बीस हजार) से 50ए000ध् ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अ धभार सहित कुल देय रा ष रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) से अ धक बकाया होने पर मात्र अ धभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही

है। उक्त छूट मात्र अ धभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/कराये पर लागू नहीं होगी।
नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है क संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/कराये की बकाया रा ष नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जी वत प्रमाण-पत्र
रतलाम 29 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं वकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जी वत प्रमाण-पत्र लया जावेगा।
नगर पा लक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है क वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जी वत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जी वत प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं कया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 29 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 29 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक

पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/29ण08ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.